न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/162** दायर दिनांक **14.06.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. संजय सिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोविन्दसिंह पुत्र मेघसिंह 2. भंवरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 3. भरतसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 4. अमरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 5. जगदेव सिंह पुत्र गोविन्दसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला नगौर राज0

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

उपस्थित :– पक्षकारान

–:: निर्णय ::–

दिनांक **16.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 02 ता 05 सगे भाई है जो प्रतिवादी सं0 1 गोविन्दसिंह के जायन्दा पुत्र है। खेत खसरा सं0 347/190 रकबर 14 बीघा 05 बिस्वा वाके सरहद भण्डारी में स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं0 01 भोले भाले आदमी है जो भूमाफियाओं के बहकावें में है तथा उक्त भूमि का विक्रय करने पर उतारू है। जिसके कारण वादी के जायज अधिकार खतरे में पड गये है। उक्त भूमि पैतृक है तथा उक्त भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 02 ता 05 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा कानूनन बंट में आता है। कई वर्षो से पांचों भाई ही उक्त खेत में काश्त करते आये है। वादी अपने 1/5 हिस्से की घोषणा कानूनन करवाने का अधिकारी है। अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है। वादी व प्रतिवादी सं0 02 ता 05 का हित एक ही है एक दुसरे के खिलाफ नहीं है। प्रतिवादीगण शकुनत पर हाजिर नहीं होने के कारण उन्हे प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गा है। प्रार्थना वादी है कि खेत खसरा सं0 347/190 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा वाके भण्डारी की खातेदारी में वादी का 1/5, प्रतिवादी सं0 01 का 1/5, प्रतिवादी सं0 02 का 1/5, प्रतिवादी सं0 03 का 1/5, प्रतिवादी सं0 04 का 1/5, प्रतिवादी सं0 05 का 1/5 हिस्सा अर्थात वादी व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व–वाद, संख्या–2017/162
दायर दिनांक 14.06.2017 निर्णय दिनांक 16.06.2017
संजय सिंह बनाम गोविन्दसिंह वगैरा।

प्रतिवादी सं0 02 ता 05 प्रत्येक की 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामगी करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण आज न्याय आपके द्वार कैम्प मामडोदा में पेश हुआ। समस्त पक्षकारान उपस्थित। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। समस्त पक्षकारान वादी के वाद अनुसार डिक्री किये जाने पर सहमत है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मजमें आम में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद भण्डारी के खेत खसरा सं0 347/190 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा की खातेदारी में वादी का 1/5, प्रतिवादी सं0 01 का 1/5, प्रतिवादी सं0 02 का 1/5, प्रतिवादी सं0 03 का 1/5, प्रतिवादी सं0 04 का 1/5, प्रतिवादी सं0 05 का 1/5 हिस्सा अर्थात वादी व प्रतिवादी सं0 02 ता 05 प्रत्येक को 1/5 हिस्से के स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **16.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प मामडोदा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/162** दायर दिनांक **14.06.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. संजय सिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोविन्दसिंह पुत्र मेघसिंह 2. भंवरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 3. भरतसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 4. अमरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 5. जगदेव सिंह पुत्र गोविन्दसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला नगौर राज0

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

दिनांक 16.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद भण्डारी के खेत खसरा सं0 347/190 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा की खातेदारी में वादी का 1/5, प्रतिवादी सं0 01 का 1/5, प्रतिवादी सं0 02 का 1/5, प्रतिवादी सं0 03 का 1/5, प्रतिवादी सं0 04 का 1/5, प्रतिवादी सं0 05 का 1/5 हिस्सा अर्थात वादी व प्रतिवादी सं0 02 ता 05 प्रत्येक को 1/5 हिस्से के स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट मामडोदा में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner